न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

तारीख रजू :—23.05.2017

सिविल प्रकरण संख्याः— 27/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मोहन लाल मंगल पुत्र श्री नाथूलाल मंगल निवासी सौरती बाजार, शहर सवाई माधोपुर (एफबीओ व मैनेजर) फर्म—विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नं0 5, प्रेममन्दिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड बजरिया, सवाई माधोपुर।
2. विष्णु कुमार मंगल—प्रोपराईटर—फर्म—विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नं0 5, प्रेममन्दिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी सौरती बाजार, शहर सवाई माधोपुर
3. मदन—प्रोपराईटर—फर्म—GINODIA AGRO, G-836, ROAD NO-14, VKI AREA, JAIPUR (RAJ.)

..........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 27/12/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन—भरतपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 29.07.2016 को समय 04.00 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म— विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान न0 5, प्रेममन्दिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड बजरिया, सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय मोहन लाल मंगल पुत्र श्री नाथूलाल मंगल, मौजूद थे जो घी, तेल, मसाले व किराना एवं परचून सामान आम जनता को बिक्री करता है, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया तथा मोहन लाल मंगल ने स्वयं को फर्म का मैनेजर एवं विष्णु कुमार मंगल को फर्म का प्रोपराईटर/मालिक होना बताया। आवेदक द्वारा मोहन लाल मंगल से वर्ष 2016 का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जिनके द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स की प्रति पेश की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु प्रदर्शित **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक के लगभग 20 पैकिट एक रैक में दुकान में रखे हुए थे, का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट होने का शक होने पर मौके पर विकेता मोहन लाल मंगल से उक्त **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक के 20 पैकिटों में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विकेता एवं मैनेजर मोहन लाल मंगल को देकर प्राप्ति रसीद ली गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक के 20 पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना क्रय कर राशि 653/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक के 04 पैकिटों को अलग–अलग चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बो में डालकर अच्छी तरह से बंद किया। आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–982** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्रवाई की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ओमप्रकाश मथुरिया पुत्र श्री मुरारी लाल मथुरिया ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं0 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में श्री पुरूषोत्तम लाल वार्ड बॉय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुरसिटी के द्वारा दिनांक 01.08.2016 को मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई । दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. /2370/एक्ट/2016/163 दिनांक 23.08.2016 भिजवाई, जिसके अनुसार खाद्य वस्तु **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक का नमूना **मिथ्याछाप (Mis-Branded U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FSSA 2006)** प्रकृति का पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded) प्रकृति की खाद्य वस्तु** **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक का निर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन[illegible] रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त[illegible] जा[illegible] अधिवक्ता उपस्थित आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:38 IST
Reason: SelfAttested

अभियोजन अधिकारी द्वा[illegible] न्याय निर्णय[illegible]वेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड ([illegible] अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Chilli Powder (Lehar Brand)** एगमार्क 1 किलोग्राम पैक मिसब्राण्ड प्रकृति खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2

न्याय निर्णयन अधिकारी ए
रिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त सं.1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **Chilli Powder (Lehar Brand)** ब्राण्ड का विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु उत्तर देने वाले अभियुक्त ने निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थीगण ने उक्त खाद्य वस्तु जरिये बिल अभियुक्त सं. 3 से सीलबन्द अवस्था में क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड खाद्य वस्तु विक्रय करने का अपराध नहीं बनता है। साथ ही बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण के जिस खाद्य वस्तु का सेम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है उक्त प्रोडक्ट्स में सुधार कर लिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना लेने की कार्यवाही प्रार्थीगण सं0 1 व 2 के विरूद्व की गई है उसे ड्रोप फरमाते हुए प्रार्थीगण को बरी फरमाये जाने की कृपा करें।

अभियुक्त सं. 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि खाद्य विश्लेषक स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 23.08.2016 के द्वारा प्रार्थी के खाद्य वस्तु का सेम्पल मिसब्राण्ड बताया गया है किन्तु आवेदनकर्ता अथवा अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा उक्त सेम्पल मिसब्राण्ड की सूचना प्रार्थी को विदित समय में नहीं दी गई जिस कारण प्रार्थी को उक्त जांच नमूना का पुनः एनालिस कराने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया जोकि प्रार्थी को कानून प्राप्त अवसर के उपयोग से वंचित कर देने के कारण आवेदन खारिज योग्य है। साथ ही बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी के जिस खाद्य वस्तु का सेम्पल मिसब्राण्ड पाया गया है उक्त प्रोडक्ट्स में सुधार कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 का भी सारभूत अनुपालन किया गया है। हमारे उत्पाद में किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहको को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा आवेदन खारिज कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि जॉच रिपोर्ट संख्या ल.एस[illegible]/एक्ट/2016/163 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच एवं वि[illegible]/वि[illegible] किया गया खाद्य वस्तु **Chilli Powder (Lehar Brand)** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200[illegible] धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उलघंन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभिहित अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट अभियुक्तगण को भिजवाई गई हो ताकि अभियुक्तगण उक्त जांच नमूना का पुनः एनालिस करा सके। ऐसी स्थिति में अभियुक्त संख्या 3 का कथन की उसे उक्त जांच नमूना का पुनः एनालिस कराने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, सही प्रतीत होता है। किन्तु खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट जिसमें विनियम 2.2.2 (10) का उल्लंघन माना गया है उसे भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य वस्तु **Chilli Powder (Lehar Brand)** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण 1 एवं 2 प्रत्येक पर पांच–पांच हजार रूपये तथा अभियुक्त 3 पर दस हजार रूपये की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:38 IST
Reason: SelfAttested